सं. 38/37/08-पी.एंड पी.डब्ल्यू.(ए)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग
लोकनायक भवन, नई दिल्ली-110003

* * *

दिनांक : 1 सितम्बर, 2008

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय का कार्यान्वयन – वर्ष 2006 से पूर्व के पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों आदि की पेंशन का संशोधन ।

1. अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय के अनुसरण में राष्ट्रपति, 2006 से पूर्व के सभी पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों की पेंशन का विनियमन निम्नलिखित पैराग्राफों में दर्शाए गए तरीके से करने हेतु एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हैं । 01.01.2006 को अथवा इसके बाद सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारियों के संबंध में आदेश अलग-से जारी किए जाएंगे ।

2.1 ये आदेश 1.1.2006 को केन्द्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली, 1972 और सी.सी.एस. (असाधारण पेंशन) नियमावली तथा रेलवे पेंशनभोगियों तथा अखिल भारतीय सेवा के तदनुरूपी पेंशनभोगी नियमों के अंतर्गत जिसमें 1.1.1973 को अथवा इसके बाद सेवानिवृत्त हुए भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी भी शामिल हैं, के अंतर्गत पेंशन आहरित करने वाले सभी पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों पर लागू होते हैं ।

2.2 सशस्त्र बलों के पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों के संबंध में रक्षा मंत्रालय द्वारा अलग-से आदेश जारी किए जाएंगे ।

2.3 ये आदेश उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय और अन्य संवैधानिक/सांविधिक प्राधिकारियों, जिनकी पेंशन आदि अन्य नियमों/आदेशों से शासित होती है, पर भी लागू नहीं होते हैं ।

3.1 इन आदेशों में :

क. मौजूदा पेंशनभोगी अथवा मौजूदा कुटुम्ब पेंशनभोगी का तात्पर्य उस पेंशनभोगी से है, जो 31.12.2005 को पेंशन/कुटुम्ब पेंशन ले रहा था/उसका हकदार था ।

ख. मौजूदा पेंशन का तात्पर्य कम्यूटिड हिस्से, यदि कोई हो, सहित उस मूल पेंशन से है, जो 31.12.2005 को देय थी । इससे सी.सी.एस.(पेंशन) नियमावली, 1972 के अंतर्गत आने वाली सभी श्रेणियों की पेंशन के साथ-साथ सी.सी.एस.(असाधारण पेंशन) नियमावली के अंतर्गत अक्षमता पेंशन तथा रेलवे कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों पर लागू होने वाले तदनुरूपी नियमों के अंतर्गत मिलने वाली पेंशन शामिल है ।

ग. मौजूदा कुटुम्ब पेंशन का तात्पर्य सी.सी.एस.(पेंशन) नियमावली तथा रेलवे और अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों पर लागू तदनुरूपी नियययमावली के अंतर्गत 31.12.2005 को ली जाने वाली बेसिक कुटुम्ब पेंशन है ।

4.1 2006 से पूर्व के मौजूदा पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों की पेंशन/कुटुम्ब पेंशन को 1.1.2006 से निम्नलिखित को शामिल करके समेकित किया जाएगा :

i. मौजूदा पेंशन/कुटुम्ब पेंशन

ii. मंहगाई पेंशन, जहाँ लागू हो

iii. मंहगाई राहत ए.आई.सी.पी.आई.(आई.डब्ल्यू.) औसत इन्डैक्स 536 (बेस वर्ष 1982 = 100) तक अर्थात् बेसिक पेंशन/बेसिक कुटुम्ब पेंशन की 24% की दर से दिनांक 5.4.2004 के इस विभाग के का.ज्ञा.सं. 42/2/2006-पी. एंड पी.डब्ल्यू.डी. (जी) द्वारा ग्राह्य राशि में मंहगाई पेंशन जोड़कर

iv. मौजूदा पेंशन/कुटुम्ब पेंशन की 40% की दर से फिटमेंट वेटेज

जहाँ उपर्युक्त पैरा (1) में मौजूदा पेंशन में 1.4.2004 से 50% मंहगाई राहत को संविलियत करना शामिल हो, वहाँ फिटमेंट वेटेज के उद्देश्यार्थ पेंशन में से संविलियत 50% की मंहगाई राहत को निकाल देने के बाद पेंशन की पुनर्संगठना की जाएगी ।

इस प्रकार निकाली गई धनराशि को 1.1.2006 से समेकित पेंशन/कुटुम्ब पेंशन माना जाएगा ।

4.2 पेंशन का नियतन इस प्रावधान की शर्त के अधीन होगा कि किसी भी मामले में वेतन वैड के वेतन के न्यूनतम में संशोधन पूर्व के तदनुरूपी ग्रेड वेतन जिससे पेंशनभोगी सेवानिवृत्त हो चुका हो, को जोड़ देने पर संशोधित वेतन उसके 50% से कम नहीं हो । एच.ए.जी + तथा ऊपर के वेतनमानों के मामले में यह संशोधित वेतनमान के न्यूनतम का 50% होगा ।

4.3 चूंकि समेकित पेंशन में पेंशन का कम्यूटिड हिस्सा, यदि कोई हो, शामिल होगा, अत: कम्यूटिड हिस्से का मासिक भुगतान करते समय उपर्युक्त राशि में से काट लिया जाएगा ।

4.4 पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 27.10.1997 के का.ज्ञा. संख्या 45/86/97-पी. एंड पी.डब्ल्यू.(ए) भाग (1) में सरकार में उच्चतम वेतनमान में निर्धारित की गई पेंशन/कुटुम्ब पेंशन की ऊपरी सीमा 15000 रुपये और 9000 रुपये से बढ़ाकार क्रमश: 50% और 30% कर दी गई है । (1.1.2006 से सरकार में उच्चतम वेतनमान 90,000 रुपये है)

4.5 पुराने पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों को उपलब्ध पेंशन/कुटुम्ब पेंशन की मात्रा निम्न रूप से बढ़ाई जाएगी :-

पेंशनभोगी/कुटुम्ब पेंशनभोगी की आयु	पेंशन की अतिरिक्त मात्रा
80 वर्ष से लेकर 85 वर्ष से कम तक	संशोधित बेसिक पेंशन/कुटुम्ब पेंशन का 20%
85 वर्ष से लेकर 90 वर्ष से कम तक	संशोधित बेसिक पेंशन/कुटुम्ब पेंशन का 30%
90 वर्ष से लेकर 95 वर्ष से कम तक	संशोधित बेसिक पेंशन/कुटुम्ब पेंशन का 40%
95 वर्ष से लेकर 100 वर्ष से कम तक	संशोधित बेसिक पेंशन/कुटुम्ब पेंशन का 50%
100 वर्ष और इससे अधिक	संशोधित बेसिक पेंशन/कुटुम्ब पेंशन का 100%

पेंशन की अतिरिक्त राशि पेंशन भुगतान आदेश में विशिष्टत: उल्लिखित होगी । उदाहरण के तौर पर, पेंशनभोगी के 80 वर्ष से अधिक होने और उसकी समेकित पेंशन उपर्युक्त 4.1 तथा 4.2 की शर्त के अधीन 10,000 रुपये से अधिक होने की दशा में उसकी पेंशन को (i) बेसिक पेंशन = 10,000 तथा (ii) अतिरिक्त पेंशन 2000 प्रति माह के रूप में दर्शाया जाएगा । उसकी 85 वर्ष की आयु होने जाने पर पेंशन (i) बेसिक पेंशन 10,000 तथा (ii) अतिरिक्त पेंशन 3000 रुपये प्रतिमाह के रूप में दर्शाई जाएगी ।

4.6 31.3.1985 और 31.12.1985 के बीच सेवानिवृत्त हुए कुछ मौजूदा पेंशनभोगियों को वैयक्तिक पेंशन मिलती है । उपर्युक्त वैयक्तिक पेंशन एक अलग तत्व के रूप में मिलना जारी रहेगा और समेकित पेंशन के रूप में संविलियत नहीं होगी ।

4.7 चूंकि संशोधित मंहगाई राहत के अनुसार जिसके अलग-से आदेश जारी किए जा रहे हैं, पैरा 4.1 के अनुसार बनाई गई समेकित पेंशन/कुटुम्ब पेंशन में औसत इन्डैक्स स्तर 536 (बेस वर्ष 1982=100) की सीमा तक मंहगाई राहत शामिल है, उस पर मंहगाई राहत केवल 536 (बेस वर्ष 1982=100) इन्डैक्स औसत स्तर से आगे मिलना ही ग्राह्य है । इस विभाग के दिनांक 15.9.2006 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 42/2/2006-पी. एंड पी.डब्ल्यू.पी.(जी), दिनांक 23.3.2007 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 42/2/2006-पी. एंड पी.डब्ल्यू.पी.(जी), दिनांक 18.9.2007 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 42/2/2006-पी. एंड पी.डब्ल्यू.पी.(जी), दिनांक 19.3.2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 42/2/2006-पी. एंड पी.डब्ल्यू.पी.(जी) द्वारा मंहगाई राहत की 1.7.2006, 1.1.2007, 1.7.2007 और 1.1.2008 की पिछली अनुमोदित चार किश्तें समेकित पेंशन/कुटुम्ब पेंशन में देय तारीख के दिन से संशोधित मंहगाई राहत के विरुद्ध समायोजित कर दी जाएंगी ।

5.1 जहाँ उपर्युक्त पैरा 4 के अनुसार समेकित पेंशन/कुटुम्ब पेंशन, 3500/-रुपए से कम बनती है, तो उसे बढ़ाकर 3500/-रुपए कर दिया जाएगा । इसे दिनांक 1.1.2006 से पेंशन/कुटुम्ब पेंशन के रूप में माना जाएगा । जिन पेंशनभोगियों को एक से अधिक पेंशन प्राप्त होती है, उनके मामले में पेंशन की न्यूनतम (फ्लोर) सीमा 3500/-रुपए सभी पेंशनों को एक-साथ मिलाकर उन पर लागू होगी ।

5.2 जहाँ केन्द्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली के तहत अशक्तता पेंशन, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के तहत अवैध पेंशन के अतिरिक्त आहरित की जाती है, 3500/-रुपए की न्यूनतम सीमा पैरा 5.1 में दर्शाए गए अनुसार दो पेंशनों की कुल राशि पर लागू होगी । जहाँ केवल अशक्तता पेंशन ही आहरित की जाती है, वहाँ 3500/-रुपए की न्यूनतम सीमा 100 प्रतिशत अशक्तता के लिए लागू होगी । अशक्तता की अपेक्षाकृत कम डिग्री होने पर न्यूनतम सीमा भी उसी अनुपात से कम हो जाएगी ।

6. मौजूदा आदेशों के तहत इस समय नियुक्त/पुनर्नियुक्त पेंशनभोगी/कुटुम्ब पेंशनभोगी, पेंशन पर मंहगाई राहत प्राप्त नहीं कर रहे हैं । उनके मामले में, यदि उनकी नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति न हुई होती, तो उनके मामले में लागू होने वाले सैद्धान्तिक (नोशनल) मंहगाई राहत को उपर्युक्त पैरा 4.1 के अनुसार यह मानकर कि वे मंहगाई राहत प्राप्त कर रहे थे, उनकी पेंशन को समेकित किए जाने के प्रयोजन से गिना जाएगा । तथापि, दिनांक 1.1.2006 के बाद मंहगाई राहत, उनकी नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति की अवधि के दौरान उन पर लागू नहीं होगी ।

7. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के ऐसे मामलों, जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों में स्थायी रूप से संविलयित कर दिया गया है, को निम्नानुसार विनियमित किया जाएगा :

(क) **पेंशन**

जहाँ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायो में स्थायी रूप से संविलयित होने पर सरकारी कर्मचारी सरकार से पृथक रूप से अपनी पेंशन आहरित करना जारी रखते हैं, ऐसे संविलयित कर्मचारियों की पेंशन तीन आदेशों के अनुसार अद्यतन की जाएगी । जहाँ सरकारी कर्मचारियों ने अपनी पेंशन के 100 प्रतिशत के समान एकतमुश्त सीमांत लाभ अर्जित कर लिया है और उच्चतम न्यायालय के दिनांक 15.12.1995 के निर्णय के अनुसार पेंशन के संराशिकृत भाग के एक-तिहाई भाग की बहाली के पात्र हो गए हैं, उन कर्मचारियों के मामले, इन आदेशों के अंतर्गत शामिल नहीं होंगे ।

(ख) **कुटुम्ब पेंशन**

ऐसे मामलों में, जहाँ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों में स्थायी रूप से संविलियन होने पर, जहाँ संविलियन की शर्तें, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 अथवा रेलवे कर्मचारियों/अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों पर लागू समानांतर नियमावलियों के तहत कुटुम्ब पेंशन की अनुमति प्रदान करती हैं, वहाँ कुटुम्ब पेंशनभोगियों द्वारा आहरित की जा रही कुटुम्ब पेंशन को इन आदेशों के अनुसार अद्यतन किया जाएगा ।

8. केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगियों को पेंशन का संवितरण संभालने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों सहित सभी पेंशन संवितरण प्राधिकारियों को एतद्द्वारा यह प्राधिकृत किया जाता है कि वे मौजूदा पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों को संबंधित लेखा अधिकारियों/प्रधान कार्यालयों आदि से आगे कोई प्राधिकार संबंधी आदेश प्राप्त किए बिना उपर्युक्त पैरा 4.1 के अनुसार समेकित दरों पर पेंशन / कुटुम्ब पेंशन प्रदान करें । मंहगाई पेंशन रहित मौजूदा मूल पेंशन / कुटुम्ब पेंशन, मंहगाई पेंशन

सहित मूल पेंशन/कुटुम्ब पेंशन और संशोधित समेकित पेंशन/कुटुम्ब पेंशन दर्शाते हुए एक सारणी तत्काल संदर्भ हेतु संलग्न है (अनुबंध-I) । इस सारणी का प्रयोग वहाँ किया जा सकता है, जहाँ पेंशनभोगी केवल एक ही पेंशन प्राप्त कर रहा है । जहाँ कोई पेंशनभोगी एक से अधिक पेंशन प्राप्त करता है, वहाँ पेंशन समेकन पैरा 4.1 के अनुसार पृथक् रूप से किया जाए और पैरा 5 में दर्शाए गए अनुसार, सभी स्रोतों से प्राप्त कुल पेंशन एक-साथ मिलाकर उस पर 3500/-रुपए की न्यूनतम सीमा लागू की जाए । जहाँ किसी पेंशनभोगी/कुटुम्ब पेंशनभोगी की आयु पेंशन भुगतान आदेश पर उपलब्ध है, वहाँ उपर्युक्त पैरा 4.5 के अनुसार संबंधित लेखा अधिकारी/ कार्यालयाध्यक्ष आदि से कोई और प्राधिकार-पत्र प्राप्त किए बिना तत्काल पेंशन संवितरण प्राधिकारियों द्वारा अतिरिक्त पेंशन/कुटुम्ब पेंशन भी प्रदान की जाए । पेंशन संवितरण प्राधिकारियों द्वारा संशोधित समेकित पेशन संबंधी एक उपयुक्त प्रविष्टि पेंशन भुगतान आदेश के दोनों भागों में दर्ज की जाएगी । पेंशन संवितरण प्राधिकारियों द्वारा संशोधित पेंशन संवितरण किए जाने संबंधी सूचना अनुबंध-II पर दिए गए फार्म में उस सी.पी.ए.ओ. तथा लेखा अधिकारी को भेजनी होगी, जिसने पेंशन भुगतान आदेश जारी किया था, ताकि बाद में सी.पी.ए.ओ. तथा लेखा अधिकारी अपने द्वारा रखे जा रहे पेंशन भुगतान आदेश संबंधी रजिस्टर को अद्यतन कर सकें । इस संबंध में पेंशन संवितरण प्राधिकारी सी.पी.ए.ओ. के कार्यालय तथा संबंधित लेखा अधिकारियों से पावती प्राप्त करेंगे ।

9. उपर्युक्त पैरा 4.1 में किए गए प्रावधानों के अनुसार निकाली गई समेकित पेंशन/कुटुम्ब पेंशन को दिनांक 1.1.2006 से अंतिम 'मूल पेंशन' माना जाएगा और यही मूल पेंशन, इसके बाद मंजूर होने वाली मंहगाई राहत प्रदान करने के लिए अर्ह (योग्य) होगी ।

10. पेंशन की बकाया राशि की 40 प्रतिशत राशि का भुगतान वर्ष 2008-09 में किया जाएगा और शेष 60 प्रतिशत राशि का वर्ष 2009-10 में किया जाएगा ।

11. सरकारी कर्मचारी जिस मंत्रालय, विभाग, कार्यालय आदि से सेवानिवृत्त हुआ था अथवा जहाँ अपने निधन से पूर्व वह कार्यरत था, उसके विभागाध्यक्ष का यह दायित्व होगा कि वह उपर्युक्त पैरा 4.1 और 4.2 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार दिनांक 01 जनवरी, 2006 से सभी पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों की पेंशन/कुटुम्ब पेंशन को संशोधित करे और संशोधित पेंशन भुगतान आदेश जारी करें । इन प्रावधानों के अनुरूप पेंशन/कुटुम्ब पेंशन को संशोधित करने की कार्रवाई, संबंधित विभागाध्यक्षों द्वारा स्वत: आरंभ की जाएगी । तथापि, रक्षा सिविल कर्मचारियों के मामले में रक्षा मंत्राय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा । इस बात पर बल दिया जाता है कि पेंशन मंजूरकर्ता प्राधिकारी किसी भी स्थिति में पेंशनभोगी/कुटुम्ब पेंशनभोगी को संशोधित आदेश जारी करने के लिए अपना मूल पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) जमा (सरेंडर) करवा देने के लिए नहीं कहेंगे । तथापि, यदि पेंशनभोगी/कुटुम्ब पेंशनभोगी की आयु पेंशन भुगतान आदेश/कार्यालय रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है, तो इसे पेंशनभोगी/कुटुम्ब पेंशनभोगी से मांगा जाएगा और इसे संशोधित पी.पी.ओ. में दर्ज किया जाएगा । पेंशनभोगी/कुटुम्ब पेंशनभोगी द्वारा घोषित आयु की प्रमाणिकता का सत्यापन पेंशन मंजूरकर्ता प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा । यह भी सुनिश्चित किया जाए कि संशोधित पेंशन भुगतान आदेश की एक प्रति, पेंशनभोगी/कुटुम्ब पेंशनभोगी को अनिवार्य रूप से भेजी जाए ।

12. यह वांछनीय समझा गया है कि ये आदेश यथा संभव शीघ्र पेंशनभोगियों के पास पहुँच जाएं । इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए यह वांछनीय है कि सभी पेंशन संवितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि पैरा 4.1 और 4.5 के अनुसार पेंशनभोगी को देय संशोधित पेंशन और पिछली बकाया धनराशि की पहली किश्त दिनांक 30 सितम्बर, 2008 तक अथवा पहले अवश्य पेंशनभोगी को अथवा उसके खाते में अदा कर दी जाए । पिछली बकाया धनराशि की दूसरी किश्त जारी करने संबंधी अनुदेश बाद में जारी किए जाएंगे । सभी संबंधित प्राधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित करने के संगठित प्रयास किए जाएं कि जहाँ आवश्यक हो, संशोधित पेंशन भुगतान आदेश उपर्युक्त पैरा 4.1, 4.2 और 4.5 के अनुसार अत्यंत शीघ्रता से जारी किए जाएं और उपर्युक्त पैरा 10 के अनुसार पिछली बकाया धनराशि इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से दो माह के भीतर जारी की जाए ।

13. जहाँ तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में इनके लागू होने का संबंध है, इन्हें भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किया जाता है ।

14. कृषि मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे इन आदेशों की विषय-वस्तु को प्राथमिकता के तौर पर अपने अधीनस्थ लेखा नियंत्रकों/वेतन तथा लेखा अधिकारियों और संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों के ध्यान में लाएं । सभी पेंशन संवितरण अधिकारियों को भी एतद्द्वारा यह सलाह दी जाती है कि वे इन आदेशों को पेंशनभोगियों के लाभ के लिए अपने नोटिस बोर्डों पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित करें ।

रजनी राजदान
(रजनी राजदान)
सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

प्रतिलिपि – डाक सूची के अनुसार

पेंशन, पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 1.9.08 के कार्यालय ज्ञापन सं. 38/37/08-पी.एंडपी.डब्ल्यू (क) पार्ट-II, के संदर्भ में पेंशन के समेंकन के संबंध में केन्द्रीय पेंशन लेखाकरण कार्यालय/वेतन एवं लेखाधिकारी कार्यालय के लिए पेंशन संवितरण प्राधिकारी द्वारा सूचना का फार्म

.....

1. पेंशनभोगी/कुटुम्ब पेंशनभोगी का नाम
2. पी.पी.ओ.सं.
3. जन्म तिथि/आयु
4. सेवानिवृत्ति/मृत्यु(कुटुम्ब पेंशन के मामले में) की तिथि
5. बैंक बचत खाता सं.
6. बैंक/भुगतान शाखा का नाम
7. बैंक कोड सं.
8. समेकित पेंशन/कुटुम्ब पेंशन की गणना पेंशन/कुटुम्ब पेंशन/कुटुम्ब पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

पेंशन	कुटुम्ब/बढ़ी हुई कुटुम्ब पेंशन
(क) वर्तमान मूल पेंशन (कम्कम्यूटेड भाग सहित) (मंहगाई राहत के 50% विलयन के प्रभाव को छोड़कर)	(क) वर्तमान मूल कुटुम्ब पेंशन/बढ़ी हुई कुटुम्ब पेंशन(मंहगाई राहत के 50% विलयन के प्रभाव को छोड़कर)
(ख) मंहगाई पेंशन	(ख) मंहगाई पेंशन
(ग) सी.पी.आई. 550 तक मंहगाई सहायता (आधार वर्ष 1982=100) अर्थात् कुटुम्ब पेंशन का 24% यथा आहरित	(ग) सी.पी.आई. 550 तक मंहगाई सहायता (आधार वर्ष 1982=100) अर्थात् कुटुम्ब पेंशन का 24% यथा आहरित
(घ) उपर्युक्त (क) पर मूल पेंशन का 40%	(घ) उपर्युक्त (क) पर मूल पेंशन का 40%
(ङ) समेकित पेंशन (क+ख+ग+घ)	(ङ) समेकित पेंशन (क+ख+ग+घ)

नोट:

1. पेंशनभोगियों के मामले में अंतिम संशोधन संबंधित वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा भरा जाएगा ।
2. कुटुम्ब पेंशन का अंतिम संशोधन भी संबंधित वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा किया जाएगा ।

(* यदि लागू न हो तो बीचो-बीच एक रेखा से काट दे)

9. क्या समेकित पेंशन/कुटुम्ब पेंशन अंतिम है/ या तत्काल राहत के रूप में अनुमत है ।
10. कोई टिप्पणी, यदि है :

पेंशन संवितरण प्राधिकारी के हस्ताक्षर

सेवा में,

केन्द्रीय पेंशन लेखाकरण कार्यालय
वित्त मंत्रालय,
व्यय विभाग,
त्रिकूट-II, भीकाजीकामा प्लेस,
नई दिल्ली-110066.

2.संबंधित वेतन एवं लेखा कार्यालय